प्राधिकरण एक बार ही बता सकेंगे आपत्ति

आफताब अजमत

विभाग से शासनादेश जारी घर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल

देहरादून। घर का नक्शा पास करने में अब प्राधिकरण बार-बार आपत्तियों की रुकावट नहीं डालेंगे। इसके बजाए उसे आवेदन को अच्छी तरह सोच समझकर सभी आपत्तियां एक बार में ही बतानी होंगी और 15 दिन में नक्शा जारी करना होगा।

वहीं, गैर एकल आवासीय भवनों का भी नक्शा पास करने को 30 दिन की अनिवार्यता कर दी गई है। घर बनाने के लिए नक्शे पास करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके तहत आवास विभाग ने हाल ही में नया शासनादेश जारी किया है। इसके तहत आवास के नक्शे का आवेदन आने पर एक ही बार में सभी आपत्तियां बताते हुए आवेदनकर्ता को 15 दिन का समय देना होगा।

सात दिन का अतिरिक्त समय ले सकेगा। अगर 15 दिन या बढ़ाई गई सात दिन की समय सीमा में भी आवेदनकर्ता कोई जवाब आपत्तियों पर नहीं देता, तो प्राधिकरण उस नक्शे के आवेदन को रद्द कर देगा। नक्शे का शुल्क जमा कराने के लिए आवेदक को 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 14 दिन अतिरिक्त भी दिए जा सकते हैं। इस अवधि में अगर शुल्क जमा न कराया

15 दिन में पास हो जाएगा नक्शा

एकल आवास में भू-स्वामित्व की जांच, तकनीकी जांच और भू-उपयोग जांच के लिए दो दिन का समय तय किया है। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी को दो दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण करना होगा। इसके बाद कोई आपत्ति आवेदक से प्राप्त की जानी है तो सूचना मानचित्र जमा करने और आवेदन शुल्क जमा करने के तीन दिन में ली जा सकेगी। अगर कोई आपत्ति आवेदक को नहीं बतानी तो दो दिन में अनापत्ति प्रमाणपत्र विभागों को प्रेषित किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाणपत्रों के मामलों पर सात जनवरी 2022 को जारी हुए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर जिन विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहते हैं, उन्हें कारण सहित ऑनलाइन सूचना भेजनी होगी। निर्धारित अवधि में प्रमाणपत्र प्राप्त न हुआ तो शासन के पूर्व के निर्देशों के तहत नक्शा पास करने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, जिस पर 15 दिन के भीतर नक्शा जारी हो जाएगा